न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 102/2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 भूरा पुत्र किशना जाति कुमावत निवासी ढ़ाणी रावणियों की तन दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अजय कुमार पुत्र घीसालाल कुमावत।
2 आशा पुत्री घीसालाल कुमावत।
3 संजू पुत्री घीसालाल कुमावत।
4 बिमला देवी बेवा घीसालाल कुमावत।
5 समली पत्नी नुन्दा कुमावत।
6 छीतर पुत्र नुन्दा (मृत)
7 प्रेमचन्द पुत्र सुरजाराम माली।
8 हीरालाल पुत्र सुरजाराम माली।
9 दड़की देवी बेवा सुरजा माली।
10 सुखदेव पुत्र गोपी माली।
11 बनवारी पुत्र पन्नाराम कुमावत।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि

12 दुर्गालाल पुत्र पन्नाराम कुमावत।

13 कन्हेयालाल पुत्र पन्नाराम कुमावत।

14 गिरधारी पुत्र पन्नाराम कुमावत।

15 उदी देवी पत्नी गुणपतलाल बलाई।

16 गणपत पुत्र सुवा बलाई।

17 तुलसी देवी बेवा रामदेव बलाई।

18 मदनलाल पुत्र रामदेव बलाई।

19 हीरालाल पुत्र रामदेव बलाई।

20 रामेश्वरलाल पुत्र रामदेव बलाई समस्त निवासीगण ढ़ाणी रावणियों की तन दांतारामगढ़ जिला सीकर।

21 एस.बी.बी.जे. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक दांतारामगढ़।

22 उप पंजियक दांतारामगढ़ जिला सीकर।

23 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

24 श्रीमती मोहरी बेवा रूघनाथ (मृत) जाति कुमावत निवासी ढ़ाणी रावणियों की तन दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक
28.01.2014 दावा संख्या 132/2007
डनवानी भूरा बनाम अजयकुमार आदि
न्यायालय एस डी ओ दांतारामगढ़ (सीकर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं

उपस्थित

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज अधिवक्ता रेसपोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–07.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा वाद संख्या 132/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत खसरा नम्बर 198,199,201,202,203,204,205,206,207,208, 217,203/487 कुल किता 13 कुल रकबा 7.55 हैक्टर वाके ग्राम अहीर का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के सन्दर्भ में पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 5 का आवेदन न्यायाहित में स्वीकार करने की प्रार्थना की विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में वादी का वाद तो स्वीकार किया है किन्तु रेसपोडेंट संख्या 24 श्रीमती मोहरी बेवा रूघनाथ मृत का नाम राजस्व रिकार्ड से हजब किये जाने बाबत एवं मोहरी का हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज करने का आदेश अंकन होने से रह गया है। अत अपील स्वीकार कर उक्त अनुतोष

उप प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने इससे सहमति व्यक्त कर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में वादी का वाद तो स्वीकार किया है किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 24 श्रीमती मोहरी बेवा रूघनाथ मृत का नाम राजस्व रिकार्ड से हजब किये जाने बाबत एवं मोहरी का हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज करने का आदेश अंकन होने से रह गया है। वकील अपीलांट ने विचारण न्यायालय के निर्णय में इसी संशोधन के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने सहमति जाहिर कर विचारण न्यायालय के निर्णय में उपरोक्तानुसार संशोधन का निवेदन किया है। न्यायहित में उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय के अन्त में निम्नलिखित आदेश और अंकित किया जाता है।

"मोहरी बेवा रूघनाथ (मृत) जाति कुमावत निवासी ढ़ाणी रावणियों की तन दांतारामगढ़ जिला सीकर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है एवं मोहरी का हिस्सा वादी भूरा पुत्र किशना एवं प्रतिवादी संख्या 5 रामली धर्म पत्नी स्व. नन्दा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है " तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर